सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-1266/BR/4/2023-APCR Date : 08.08.2024

सेवा मे,

श्री जीतेंद्र कुमार
पुलिस अधीक्षक,
जिला कटिहार ,
समाहरणालय कटिहार,
कटिहार, बिहार 854109
Email Id: sp-katihar-bih@nic.in

विषय: अवैध रूप से जमीन हड़पने, गालीगलोच एवं हमला करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में श्री वरुण मराण्डी का दिनांक 02.06.2023 का अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 11.06.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्टकी गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि:

श्री वरुण मरांडी
ग्रामकहटा बालूगंज -,
पोबैना -, थानापुनपुर -,
जिला कटिहार बिहार -854116)
मोबाइल नंबर :9199140215

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(2) NIC for uploading

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NCST/ATY-1266/BR/4/2023-APCR

जमीन के विवाद के संबंध में श्री वरुण मरांडी, ग्राम- कहटा बालूगंज, थाना- पुनपुर, जिला- कटिहार, बिहार की शिकायत के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 11.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि : 11.06.2024, 02:20 P.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

श्री वरुण मराण्डी से दिनांक 02.06.2023 की शिकायत आयोग में प्राप्त हुई है, जिसमें उनका कहना है कि उसके इलाके के दबंग भू माफ़ियों ने अवैध रूप से उसकी जमीन हड़प ली है। आरोपीगणों ने उसकी ज़मीन पर जबरदस्ती ट्रेक्टर से जुताई करने की कोशिश की है, तथा मना करने पर उनको जान- माल की धमकी दी है। उन्होने बताया है कि पुलिस भी आरोपियों के साथ मिली हुयी है व खेत को जुतवाने में आरोपियों का साथ दे रही है। आरोपियों ने उसे खेत नहीं जोतने देने पर जान से मारने की धमकी दी है। प्रार्थी ने इस मामले में आयोग से मदद का अनुरोध किया है।

2. आयोग द्वारा इस मामले में पुलिस अधीक्षक, जिला - कटिहार, बिहार को नोटिस दिनांक 19.06.2023 को भेजा गया था और 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी। जिसके सम्बंध में पुलिस अधीक्षक, जिला - कटिहार, बिहार की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

3. आयोग द्वारा दिनांक 11.06.2024 को पुलिस अधीक्षक, जिला - कटिहार, बिहार के साथ आयोग में सुनवाई तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस अधीक्षक, जिला - कटिहार, बिहार उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित नही हुए।

5. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस अधीक्षक, जिला - कटिहार, बिहार ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए। उन्होने बताया कि इस मामले में उन्होने LRDC के आदेश की पालना की है।

प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती है:-

1. पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता के परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।

2. थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

3. जिला पदाधिकारी, कटिहार एवं एलआरडीसी को नोटिस दिया जाए।

4. Bihar Tenancy Act की अनुपालना की जाए।

5. भविष्य मे आयोग के नोटिस का जवाब समय पर दिया जाए।

आशा लकड़ा

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY- 1266/BR/4/2023-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from Superintendent of Police, Katihar, Bihar

Shri Jitendra Kumar

Superintendent of Police